

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

संख्या-04/STA-(कोर्टकेस)-09/2024 परि0

पटना, दिनांक-

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-88(6) के तहत बिहार-ओडिशा पारस्परिक परिवहन समझौता, 1995 में अंकित अन्तर्राज्यीय मार्ग राजगीर-राजगंगपुर के भाया में दोनों राज्यों के सहमति के उपरान्त निम्नवत् आंशिक संशोधन करते हुए अधिसूचित किया जाता है :-

क्र०सं०	मार्ग का नाम	पूर्व में अंकित भाया	संशोधित भाया
1	राजगीर-राजगंगपुर	डोभी, चतरा, कुरु, गुमला, सिमडेगा	गया, डोभी, चतरा, कुरु, गुमला, सिमडेगा, विरमित्रापुर, राउरकेला

2. शेष यथावत रहेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-04/STA-(कोर्टकेस)-09/2024 परि0

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 द्वारा संयुक्त सचिव, ई०गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-04/STA-(कोर्टकेस)-09/2024 परि0

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, ओडिशा/ सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, झारखण्ड/सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-04/STA-(कोर्टकेस)-09/2024 परि0

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-04/STA-(कोर्टकेस)-09/2024 परि0

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- आई०टी० मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

08/04/2025

सरकार के उप सचिव।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

संख्या-04/STA-(कोर्टकेस)-09/2024 परि0

पटना, दिनांक-

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-88(6) के तहत बिहार-ओडिशा पारस्परिक परिवहन समझौता, 1995 में अंकित अन्तर्राज्यीय मार्ग राजगीर-राजगंगपुर के भाया में दोनों राज्यों के सहमति के उपरान्त निम्नवत् आंशिक संशोधन करते हुए अधिसूचित किया जाता है :-

क्र०सं०	मार्ग का नाम	पूर्व में अंकित भाया	संशोधित भाया
1	राजगीर-राजगंगपुर	डोभी, चतरा, कुरु, गुमला, सिमडेगा	गया, डोभी, चतरा, कुरु, गुमला, सिमडेगा, विरमित्रापुर, राउरकेला

2. शेष यथावत रहेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-04/STA-(कोर्टकेस)-09/2024 परि0

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 द्वारा संयुक्त सचिव, ई०गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-04/STA-(कोर्टकेस)-09/2024 परि0

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, ओडिशा/ सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, झारखण्ड/ सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-04/STA-(कोर्टकेस)-09/2024 परि0 3087 पटना, दिनांक- 08/04/2025

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

Signature
08/04/25

सरकार के उप सचिव।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

संख्या-04/STA-(कोर्टकेस)-09/2024 परि०

पटना, दिनांक-

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-88(6) के तहत बिहार-ओडिशा पारस्परिक परिवहन समझौता, 1995 में अंकित अन्तर्राज्यीय मार्ग राजगीर-राजगंगपुर के भाया में दोनों राज्यों के सहमति के उपरान्त निम्नवत् आंशिक संशोधन करते हुए अधिसूचित किया जाता है :-

क्र०सं०	मार्ग का नाम	पूर्व में अंकित भाया	संशोधित भाया
1	राजगीर-राजगंगपुर	डोभी, चतरा, कुरु, गुमला, सिमडेगा	गया, डोभी, चतरा, कुरु, गुमला, सिमडेगा, विरमित्रापुर, राउरकेला

2. शेष यथावत रहेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-04/STA-(कोर्टकेस)-09/2024 परि०

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 द्वारा संयुक्त सचिव, ई०गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-04/STA-(कोर्टकेस)-09/2024 परि० 3087 पटना, दिनांक- 08/04/2025
प्रतिलिपि- सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, ओडिशा/ सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, झारखण्ड/सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

Archana
08/04/25

4 सरकार के उप सचिव।